क्र० संख्या 1–015 (क–11)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, मंगलवार, 13 फरवरी, 2001 ई0
माघ 24, 1922 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
कृषि अनुभाग

संख्या 348 / कृषि / 2000–2001
देहरादून, 13 फरवरी, 2001

अधिसूचना

प0 आ0–019

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन बनाये गये बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 11 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रन्यट में प्रकाशित होने के दिनांक से उपर्युक्त आदेश के प्रयोजन के लिये परियोजना अधिकारियों / जिला कृषि अधिकारियों को उनके अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त अनुज्ञापन प्राधिकारी नियुक्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि ऐसे अनुज्ञापन प्राधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर करेंगे। बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के खण्ड 16 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, कृषि निदेशक उत्तरांचल को "अपील प्राधिकारी" नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 एस0 टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास।